

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट मोतीवाडा)

वाद संख्या :- 02/71/2014

रामेश्वर बनाम कल्याण वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 22.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट मोतीवाडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 20.03.2014 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 91/0.03 है। वाके ग्राम गुवाडा घेसली तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 02.05.2014 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन दिनांक 10.10.2014 को उपस्थित न्यायालय आये परन्तु बाद उपस्थिति जवाब पेश नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2014 से प्रचलन में है जिसे लगभग 4 वर्ष का समय हो गया है एवं अप्रार्थी के जवाब के अभाव में प्रकरण का अभी निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 91/0.03 है। वाके ग्राम गुवाडा घेसली तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 20.03.2014 का प्रचलन दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 कैम्प कोर्ट मोतीवाडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट मोतीवाडा)